



राजस्थान सरकार  
वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग


क्रमांक: एफ.5(थ-75)डीटीए/IFMS/पे-मैनेजर/2480-2691 दिनांक 26/6/2020

संशोधन

कोविड-19 महामारी संक्रमण के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस विभाग के संशोधन क्रमांक एफ.5(थ-75)कोष/आई.एफ.एम.एस./पे-मैनेजर/226-425 दिनांक 15.04.2020 द्वारा संवेतन माह जून देय माह जुलाई 2020 करते हुए पूर्व परिपत्र क्रमांक एफ.5(थ-75)डीटीए/आई.एफ.एम.एस./पे-मैनेजर/9023-9522 दिनांक 23.01.2020 के बिन्दु संख्या 2 एवं 2(vi) में अंकित संवेतन माह की अवधि में वृद्धि की गयी थी।

उक्तानुसार अपेक्षित कार्यवाही विभागों द्वारा सम्पन्न न किए जाने के कारण अंतिम बार संशोधन करते हुए उक्त संदर्भित अवधि को संवेतन माह जून देय माह जुलाई 2020 के स्थान पर संवेतन माह जुलाई 2020 देय माह अगस्त 2020 किया जाता है।

संवेतन माह जुलाई 2020 देय माह अगस्त 2020 के संवेतन बिल आई.एफ.एम.एस. सिस्टम पर तैयार करते समय कार्यालयवार पद वितरण, विभागाध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारियों के पे-मैनेजर पर रजिस्ट्रेशन, कार्मिकों के मास्टर डेटा की जाँच एवं अधिकृति इत्यादि से सम्बद्ध परिपत्र क्रमांक एफ.5(थ-75)डीटीए/आई.एफ.एम.एस./3666-4165 दिनांक 13.09.2019 एवं परिपत्र क्रमांक एफ.5(थ-75)डीटीए/आई.एफ.एम.एस./पे-मैनेजर/9023-9522 दिनांक 23.01.2020 में अंकित दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना किया जाना अनिवार्यतः अपेक्षित है।

  
(हेमन्त कुमार गेरा)  
शासन सचिव, वित्त (बजट)

2480-2691  
26/6/2020

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय राज्यपाल / माननीय मुख्यमंत्री / समस्त मंत्री / राज्य मंत्री
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव।
3. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवं हक / सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा / आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, समस्त प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव
5. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
6. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान, अजमेर।
8. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
9. समस्त विभागाध्यक्ष एवं विभाग में पदस्थापित लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारीगणों को उक्त निर्देशों एवं संबंधित नियमों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करवाये जाने हेतु।
10. आयुक्त, उद्योग विभाग, जयपुर।
11. सचिव, राजस्थान विधानसभा, सचिवालय जयपुर
12. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर को उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करवाने हेतु।
13. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
14. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग, सचिवालय, जयपुर
15. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (जी.एण्ड.टी.) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
16. निदेशक, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर को उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
17. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर को उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
18. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय, जयपुर को निर्धारित समय-सीमा में तकनीकी सहायता (Help Desk) उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करते हुए सिस्टम पर तकनीकी व्यवधान रहित उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
19. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (आई.एफ.एम.एस./पेंशन), एन.आई.सी. सचिवालय, जयपुर।
20. श्री मनोज नागर, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय, जयपुर को उक्तानुसार सिस्टम में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें तथा सभी सम्बद्ध कार्यालयों को तकनीकी सहायता व मार्गदर्शन प्रदान करें।
21. श्री आई.डी. वरियानी, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. वित्त भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार सिस्टम में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें तथा सभी सम्बद्ध कार्यालयों को तकनीकी सहायता व मार्गदर्शन प्रदान करें।
22. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. (वॉम), वित्त भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार सिस्टम में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें तथा सभी सम्बद्ध निर्माण खण्डों को तकनीकी सहायता व मार्गदर्शन प्रदान करें।
23. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित
24. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर को उक्त निर्देशों की पालना हेतु तथा वित्त विभाग की साईट पर अपलोड करने हेतु।
25. कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी, समस्त को उक्त निर्देशों की पालना करने हेतु।

संयुक्त शासन सचिव